कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

संचिका सं०–जै0प्रो0को0(कार्य योजना) 53/2015–   /कृ०, पटना,दिनांक ..../2015

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यादेश संख्या–3469, 3470 एवं 3471, दिनांक–09.07.2015 निर्गत किया गया है, जिसमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है–

राज्यादेश की कंडिका सं0	पूर्व में निर्गत अनुदेश	संशोधित अनुदेश
कंडिका सं0–09	कृषि निदेशक द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को गरमा/पूर्व खरीफ 2015 में वितरित मूँग एवं ढ़ैंचा के बीज की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा सकती है। इस मद में गत वित्तीय वर्षों में उपलब्ध अवशेष राशि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा वापस की जायेगी तथा विभाग/कृषि निदेशक द्वारा राशि कोषागार में जमा की जायेगी।	कृषि निदेशक द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को गरमा/पूर्व खरीफ 2015 में वितरित मूँग एवं ढ़ैंचा के बीज की अनुदान राशि की निकासी BTC Form-46 में करते हुए राशि बिहार राज्य बीज निगम को PL Account-271 में स्थानान्तरित किया जायेगा। साथ ही मूँग एवं ढ़ैंचा के बीज के साथ राइजोबियम कल्चर की अनुदान राशि अनुदानित दर पर शत प्रतिशत जैव उर्वरक वितरण योजना से निकासी कर राशि बिहार राज्य बीज निगम को PL Account-271 में ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मद में गत वित्तीय वर्षो में उपलब्ध अवशेष राशि बिहार राज्य बीज निगम द्वारा वापस की जायेगी तथा विभाग/कृषि निदेशक द्वारा राशि कोषागार में जमा की जायेगी।
कंडिका सं0–10	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत प्रमाणीकरण कार्य हेतु राशि बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है।	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत प्रमाणीकरण कार्य हेतु कृषि निदेशक द्वारा राशि की निकासी BTC Form-46 में करते हुए राशि निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को PL Account-269 में स्थानान्तरित किया जायेगा।

पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

15/10/2015
(प्रभु राम)
निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक – 5083   /कृ0, पटना दिनांक 15-10-2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/2015
निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

Office Order

ज्ञापांक 5089 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2015
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5089 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2015
प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5089 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2015
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, मीठापुर, पटना/ संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं योजना शाखा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5089 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2015
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 5089 /कृ0, पटना, दिनांक 15-10-2015
प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–
अपर सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना